

# उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

**Registered/Corporate Office:**

12<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

फैक्स नं० : 0522-2287701 विनं-4653

संख्या-1796 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22-20(112)/2015

दिनांक 24.06.2022

## कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1187/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22-20(112)/2015 दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से कार्यालय सहायक-द्वितीय के पद पर On seat प्रोन्नत किये गये निम्नलिखित कार्मिकों को उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में अंकित प्राविधान के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/कार्य स्थल पर एतद्वारा निम्नवत् तैनात किया जाता है :-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम/ वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
01	02	03	04
01.	श्री त्रिवेणी नाथ चौरसिया, कार्यालय सहायक-द्वितीय	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा, सोनभद्र
02.	श्री पियूष निगम, कार्यालय सहायक-द्वितीय	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा, सोनभद्र	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र

- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक इस आदेश की निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को उपरोक्तानुसार तत्काल अवमुक्त किया जाये तथा विद्यमान आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्ति की तिथि को वार्षिक गोपनीय आख्या का स्वांकन प्रस्तुत करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होते समय इकाई से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ (पृष्ठ संख्या अंकित कर) तथा चार्ज नोट 02 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति नियंत्रक अधिकारी को देगा तथा एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण से पूर्व देखे जा रहे कार्यों को उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पादित कराया जायेगा।
- स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा कार्यभार ग्रहणकाल अनुमन्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

संख्या-1796 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22-20(112)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी, सोनभद्र।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, विकासदीप, लखनऊ।

*(Handwritten signature)*

6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी/ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिकों की कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के अन्दर कार्मिक एवं प्रशासन इकाई, लखनऊ को प्रेषित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी, सोनभद्र ।
8. अधिशासी अभियन्ता (मु0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/ (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

*मो0*  
24/06/2022  
(मो0 अलीम)  
उप सचिव (का0 एवं प्रशा0)